भारत सरकार ने आय सीमा में संशोधन, इसे औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ने हेतु प्रत्येक दो वर्षों में एक बार करने का भी निर्णय लिया है ।

(3) लड़कियों के मामले में एक ही माता-पिता/अभिभावकों के दो बच्चों को इस योजना के लाभ देने की प्रतिबंधात्मक शर्त की छूट

इस समय एक ही माता-पिता/अभिभावकों के केवल दो बच्चे यदि अन्यथा पात्र हों तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं । लड़कियों के लिए इस शर्त में छूट दी गई है और एक ही माता-पिता/अभिभावकों की लड़कियों की कोई भी संख्या इस योजना के लाभ प्राप्त कर सकती है ।

(4) अध्ययन दौरा शुल्क का संशोधन

अपेक्षित अध्ययन दौरे के लिए 100रू0 प्रति वर्ष तक की वर्तमान राशि को बढ़ाकर 500रू0 प्रति वर्ष कर दिया गया है ।

(5) वर्तमान अनिवार्य पाठ्यक्रम फीस की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त दूरस्थ तथा अनुवर्ती शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पुस्तकों के लिए भत्ते का प्रावधान

दूरस्थ तथा अनुवर्ती शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को वर्तमान अनिवार्य पाठ्यक्रम फीस के अतिरिक्त अब 500 रू0 प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता दिनांक 1.10.1995 से प्रदान किया जाएगा ।

3. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से तदनुसार अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करें । उपर्युक्त निर्णयों के कारण वर्ष 1995-96 के दौरान (दिनांक 1.10.1995 से) केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रस्तावों को 1995-96 के दौरान पहले ही प्राप्त केन्द्रीय सहायता तक समायोजित करने के पश्चात इस मंत्रालय को अति शीघ्र भेज दिया जाए ।